महत्वपूर्ण एवं खास

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म की शुटिंग रायगढ़-कोरबा क्षेत्र में सितम्बर से होगी शुरू

रायपुर (आरएनएस)। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म की शूटिंग के लिए प्रदेश के रायगढ़ और कोरबा में लोकेशन की तलाश की जा रही है. अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा अभिनीत फिल्म की शूटिंग सितंबर महीने से छत्तीसगढ़ में शुरू होगी. फि ल्म का कथानक वर्ष 1989 में पश्चिम बंगाल स्थित रानीगंज कोयला खदान हादसे को बनाया गया है. रायगढ़ और कोरबा में फिल्म के शूटिंग के लिहाज से मुफीद लोकेशन है. फिल्म के निर्देशक रुस्तम फेम टीनू सुरेश देसाई हैं. फिल्म वर्ष 1989 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला खदान में हुए हादसे पर बनाई जा रही है. इस खौफनाक हादसे में अमृतसर में रहने वाले खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने बाढ़ में फंसे 65 खदान मजदूरों की जान बचाई थी. फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार जसवंत सिंह गिल की भूमिका निभाएंगे. प्रदेश के रायगढ़ और कोरबा में फिल्म की शूटिंग का लोकेशन ढूंढने के लिए निर्देशक टीनू आनंद और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी असीम मिश्रा के साथ 12 सदस्यों का क्रू रायगढ़ और कोरबा में लोकेशन की तलाश कर रहे हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने कुछ समय पहले मुंबई में फिल्म निर्माता जैकी भागनानी से मुलाकात करते हुए राज्य की नई फिल्म पॉलिसी की चर्चा करते हुए शूटिंग के लिए आमंत्रित किया था. इसका परिणाम यह हुआ कि टीनू देसाई और उनकी टीम रायगढ़ में लोकेशन की तलाश करने पहुंची है.

विवाह का आश्वासन देकर युवती का दैहिक शोषण, युवक पर दुष्कर्म का अपराध दर्ज

रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ क्षेत्र की रहने वाली युवती द्वारा बिलासपुर महिला थाने में विक्रम मंडल पिता मनोरंजन मंडल निवासी प्रेमनगर बायसी कालोनी धरमजयगढ़ के विरूद्ध शादी का आश्वासन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। युवती बताई कि एसबीआईकार्ड डिपार्टमेंट में कार्य करने वाला विक्रम मंडल वर्ष 2020 में प्रेम प्रसंग बनाकर शादी का प्रस्ताव रखा था, उसके बाद दिनांक 03/07/2021. को विक्रम मंडल अपने घर ले जाकर लगभग 10 दिनों तक बिना सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित किया जिसे शादी की बात पर आनाकानी करता था। इस दरम्यान जब उसे थाने में रिपोर्ट करने की धमकी दी तब भी कानूनी तौर पर और सामाजिक रीति रिवाज से शादी करूंगा कहकर भरोसा दिलाया। 10 दिन बाद अपने घर से अपने घर आ गई तो भी शारीरिक संबंध बनाता रहा। विक्रम पर शादी का दबाव बनाने पर अब धमकी दिया जाने लगा कि कुछ पैसे लेकर मेरी जिंदगी से बाहर चली जाओ यदि नहीं जायेगी तो जान से मार दुंगा। आरोपी विक्रम मंडल पर थाना धरमजयगढ़ में अप.क्र. 74/2022 धारा 376,506,344 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

35 वर्षीय डॉक्टर से 50 हजार की ऑनलाइन धोखाधड़ी, रिपोर्ट दर्ज

रायगढ़। दिनांक 05.05.2022 को रिपोर्टकर्ता ईशान अवस्थी पिता डॉ शरद अवस्थी उम्र 35 वर्ष निवासी मुकुट नगर रायगढ़ द्वारा थाना चक्रधरनगर में ऑनलाइन फ्राड की रिपोर्ट आवेदन देकर दर्ज कराया। रिपोर्टकर्ता बताया कि दिनांक 30.04.2022 के सुबह 09:52 बजे अज्ञात मोबाईल नम्बर से मैसेज आया कि आज रात्रि 09:30 से घर का विधुत कानेक्सन काट दिया जायेगा क्योंकि पिछला बिल अपडेट नहीं है। इससे बचने के लिए आप तत्काल विधुत अधिकारी के नंबर 982747XXXX पर सम्पर्क करें तब उक्त नंबर से अपने मोबाईल नंबर 942525XXXX से सम्पर्क किया। जिसने अपना नाम दीपक शर्मा बताया और 10 रू का BSNL पर रिचार्ज करने बोला जिस पर 10 रू का रिचार्ज किया उसके बाद प्ले स्टोर से एनी डेस्क एप को डाउनलोड करने कहा गया। एनी डेस्क एप डाउनलोड किया कुछ देर बाद खाते से 50,000 रू आहरण का मैसेज आया। मामले में अज्ञात आरोपी पर थाना चक्रधरनगर में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

युवती के साथ दुष्कर्म, घटना की रिपोर्ट के बाद फरार हुआ आरोपी, घरघोड़ा थाने में दर्ज एफआईआर

रायगढ़। दिनांक 06.05.2022 को थाना घरघोड़ा में युवती ग्राम कोसमघाट के सत्यानंद राठिया द्वारा जबरन पकडकर घर अंदर ले जाकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पीड़ित युवती बताई कि दिनांक 10.04.2022 को अपने घर से कोसमघाट महुआ बेचने गई थी। रास्ते में शाम करीबन 04.00 बजे ग्राम कोसमघाट का सत्यानंद राठिया उसके घर के पास रास्ते में खड़ा मिला जो जबरन पकडकर उठाकर अपने घर अंदर ले गया। घर अंदर पीने के लिये पानी दिया जिसे पीने के बाद नशा हो गया और कुछ देर बाद सत्यानंद राठिया घर के दरवाजा को बाहर से बंद कर कहीं चला गया।

डोंगरीपाली के गांव परधियापाली में हुई थी ओडिशा के युवक की हत्या, एक माह बाद घटना उजागर

- हत्या के आरोप में परधियापाली के युवक और साक्ष्य छिपाने में सहयोगी आरोपी की पत्नी गिरफ्तार
- मृतक का आरोपी की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध बना हत्या का वजह

रायगढ़। दिनांक 31.03.2022 को थाना भठली जिला बरगढ ओड़िशा से थाना डोंगरीपाली को रेडियो मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें ललित साहू पिता शशिधर साहू उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम ग्रिंजाल थाना-सोहेला जिला- बरगढ़ के DHH अस्पताल बरगढ में ईलाज दौरान दिनांक 31.03.2022 को फौत की सूचना मिला, मृतक के परिजन अस्पताल में थाना डोंगरीपाली क्षेत्र के परधियापाली क्रेशर के पास ललित साहू को सड़क पर गंभीर हालत में पड़े होने की जानकारी दिये थे। मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी डोंगरीपाली उप निरीक्षक अजीब कुमार बेक ओडिशा पुलिस के साथ सामंजस्य बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर गंभीरता पूर्वक सूक्ष्मता से जांच करते हुए घटना को दुर्घटना का स्वरूप देने वाले परधियापाली के पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं घटना के संबंध में मृतक के छोटे भाई द्वारा भी थाना डोंगरीपाली में आवेदन देकर घटना की उचित मांग किया गया है।

थाना भठली जिला बरगढ ओड़िशा से प्राप्त रेडियो मैसेज की जांच कर रहे थाना प्रभारी डोंगरीपाली को मृतक के वारिसान व गवाह बताये कि दिनांक 29.03.2022 को ललित साहू (उम्र 35 वर्ष) को परधियापाली के युवक दोनारो उर्फ जन्तरस्वामी भोय द्वारा उसके घर में बेतहाशा मारपीट कर उसकी पत्नी बिलासीनी भोय के साथ ललित साहू को अधमरे हालत में परधियापाली क्रेशर के पास सड़क पर फेंक दिया गया था, ईलाज दौरान दिनांक- 31.03.2022 की सुबह ललित साहू का मौत हो गया ।

गंभीर घटना की जानकारी थाना प्रभारी डोंगरीपाली उप निरीक्षक ए.के. बेक द्वारा पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी सारंगढ़ को दिया गया, जिनके निर्देशन, मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी द्वारा मृतक के वारिसान, आवेदक, गवाहों से पूछताछ कर कथन लिया गया जिसमें मृतक ललित साहू तथा संदेही दोनारो उर्फ जन्तरस्वामी भोय की पत्नी बिलासीनी भोय के बीच अंतरंग रिस्तों की जानकारी मिली जिस पर थाना प्रभारी द्वारा बिलासीनी भोय को हिरासत में लेकर हिक्मत अमली से पूछताछ किया गया जो बताई कि घटना दिनांक 29.03.2022 को शाम करीबन 07:30 बजे ग्राम ग्रिजाल का ललित साहू हमारे घर आया और करीबन 08:00 बजे रात्रि मेरे पति जन्तर स्वामी को लेकर क्रिकेट मैच देखने दोनों डोंगरीपाली गए। कुछ देर बाद रात्रि करीब 11:00 बजे ललित साहू अकेले घर आया तो उठकर घर से बाहर निकलकर परछी में आयी तभी अचानक पति जन्तरस्वामी आ गया और दोनों को साथ देखकर गुस्सा से भड़क गया पहले 03-04 थप्पड़ मुझे (बिलासीनी) मारा और फिर वहीं पड़े धौरा लकड़ी डंडा को उठाकर ललित साहू के सिर में जोर से मारा जिससे ललित साहू खून से लथपथ जमीन पर गिर गया और गिरने के बाद भी 03-04 बार लकड़ी से सिर में मारा। ललित साहू अधमरा हो गया था, कुछ बोल नहीं रहा था जिसे दोनों पति-पत्नी ललित साहू के मोटर सायकल में लिटाकर मोटर सायकल को जंगल के रास्ते परधियापाली क्रेशर के पास मेन रोड में ललित साहू को अधमरा हालत में लेटाकर अपने घर आ गए और घर आकर दोनों के खून लगे कपड़ों को जला कर राख को भी फेंक दिये, जहां पर खून गिरा था उसे भी लिपाई-छबाई कर दी। मृतक के छोटे भाई दिलेश्वर साहू उम्र 25 वर्ष द्वारा प्रस्तुत शिकायत जांच पर प्रथम दृष्टया हत्या कर साक्ष्य छिपाये जाने का अपराध पाये जाने पर दिनांक 05.05.2022 को अप.क्र. 17/2022 धारा 302, 201 IPC का अपराध आरोपी दोनारो उर्फ जन्तरस्वामी भोय (40 साल) तथा उसकी पत्नी बिलासीनी भोय (36 साल) के विरूद्ध दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपी दोनारो उर्फ जन्तरस्वामी भोय पिता सागरो उम्र 40 वर्ष निवासी परधियापाली थाना डोंगरीपाली अपराध कबूल कर डंडा से ललित साहू की हत्या कर पत्नी बिलासीनी भोय के साथ घटना को छिपाने के उद्देश्य से परधियापाली क्रेशर के पास ललित को छोड़कर आना बताये।

थाना प्रभारी डोंगरीपाली द्वारा क्राइम सीन रीक्रिएशन कराकर घटना से जुडे महत्वपूर्ण साक्ष्यों को एकत्र किया गया है। आरोपियों द्वारा मोटर सायकल से ले जाते समय जहां थोड़ी देर रूके थे वहां जमीन पर सूखा खून, तालाब में मृतक का मोबाइल फोन फेंक दिये थे जिसे काफी मेहनत कर पानी से बरामद किये, जिस लकड़ी से मारे थे उसे भी जप्त किया गया है साथ ही आरोपी की पत्नी का मोबाइल जप्त किया गया है। दोनों आरोपियों को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात कुमार पटेल के सुपरविजन में थाना प्रभारी ए.के. बेक, एएसआई मानिकपुरी, आरक्षक जगजीवन जोल्हे, किरण यादव की प्रमुख भूमिका रही है।

मानवीयता : सारंगढ़ टीआई ने की दो दिन से भूखे-प्यासे बस स्टैंड पर भटक रहे महाराष्ट्र के परिवार की मदद

रायगढ़। जिला पुलिस अपराधों पर नियंत्रण रखने व शांति व्यवस्था बनाये रखने के कार्यों के साथ ही जन सेवा के कार्यों में शामिल रहती है। ऐसे ही कार्यों में संलग्न रहकर सारंगढ़ टीआई विवेक पाटले द्वारा मानवता की मिसाल पेश किया गया। टीआई सारंगढ़ द्वारा बस स्टैंड पर भूखे-प्यासे भटक रहे महाराष्ट्र के वाशिम जिले के एक परिवार को होटल में भोजन कराकर उनके महाराष्ट्र जाने के लिये ट्रेन टिकट व रास्ते के खर्च के लिये रूपये व फल आदि की व्यवस्था कराये , परिवार सारंगढ़ पुलिस के सहानुभूति, सहयोग व सेवा को कभी न भूलने वाला बताकर रायगढ़ रेल्वे स्टेशन के लिये सारंगढ़ से निकले हैं।

दरअसल सारंगढ़ बस स्टैंड पर संचालित पुलिस सहायता केन्द्र में कार्यरत पुलिसकर्मियों ने आज दिनांक 07/05/2022 के दोपहर करीब 12:30 बजे बस स्टैंड पर दो व्यक्तियों के साथ एक युवती, एक बालिका को परेशान हालत में इधर-उधर भटकते देखे जो बाहर के रहने वाले प्रतीत हुये जिनसे थाना सारंगढ़ के प्रधान आरक्षक टीकाराम खटकर द्वारा पूछताछ किया गया, इनमें एक व्यक्ति अपना नाम अनिल पवार पिता उकण्डी पवार उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम सुकली पोस्ट उपलीपेन थाना आन्सिग जिला वाशिम (महाराष्ट्र) का होना बताया था और उसके साथ युवक को बेटा विलास (24 साल), युवती को बेटा बहु रानी पवार (20 साल) व लड़की को बेटी संध्या (14 वर्ष) होना बताया। अनिल पवार बताया कि उसका दूर के रिस्ते का भाई सरिया आसपास कहीं रहता है और बोरवेल में काम करता है जिसने बताया कि जिस बोरवेल्स गाडी में काम करता है वहां दोनों को काम पर लगा और यहीं परिवार की रहने की व्यवस्था भी कर देगा। उसकी बातों में सहमत होकर 3 दिन पहले ट्रेन से रायगढ़ और फिर सरिया गये। सरिया में अपने रिश्तेदार को दो दिन तक काफी पता तलाश किए उसका मोबाइल भी बंद है, जितने पैसे थे व भी खत्म हो गए। अनिल बताया कि 2 दिन तक पूरा परिवार कुछ नहीं खाया था उनकी बातें सुनकर प्रधान आरक्षक टीकाराम खटकर उन्हें पुलिस सहायता केन्द्र में विश्राम करने बोला और थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक विवेक पाटले को अवगत कराया। टीआई विवेक पाटले मौके पर पहुंचे जिनके द्वारा परिवार को होटल में खाना खिलाने की व्यवस्था कराएं और जब परिवारवाले महाराष्ट्र जाना बताएं तो थाना प्रभारी द्वारा उनको टिकट के लिए पैसे देकर रास्ते में खर्च के लिए कुछ रुपए व फल आदि की व्यवस्था कराएं। महाराष्ट्र का यह परिवार पुलिस के इस प्रकार व्यवहार को देखकर अचंभित थे , वे बार-बार टीआई विवेक पाटले व उनके स्टाफ का धन्यवाद कर रहे थे जिन्हें स्टाफ द्वारा बस बिठाकर रायगढ़ भेजा गया है।

नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया किशोर बालक

- 4 दिन बाद बालिका के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, महज चंद घंटों में तमनार पुलिस ने बालिका को खो निकाला

रायगढ़। थाना तमनार क्षेत्र अंतर्गत नाबालिगों की नासमझी उनके लिये बड़ी आफत बन गई। दरअसल तमनार थानाक्षेत्र का किशोर बालक अपनी हम उम्र की नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया, घर से भागकर दोनों गांव के बाहर जंगल में 4 दिनों तक नाला किनारे भूखे-प्यासे थे, तेज धूप और भूख प्यास जब जान पर बन आयी तो घर लौटने की सोचे। नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले अपचारी विधि के साथ संघर्षरत बालक को तमनार पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर आज किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है , जहां से अपचारी बालक को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है।

घटना के संबंध में बालिका के परिजन दिनांक 05.05.2022 को थाना तमनार में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराये कि दिनांक 01.05.2022 को दोपहर में घर में बिना बताये बालिका कहीं चली गई है। थाना तमनार में धारा 363 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बालिका की खोजबिन में लिया गया कि परिजन जिस लड़के पर बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने की शंका व्यक्त किये थे। उसी गांव के प्रमुख व्यक्ति द्वारा थाना प्रभारी तमनार उपनिरीक्षक जी.पी. बंजारे को बालिका और संदेही बालक को गांव में देखे जाने की सूचना दिया गया। तत्काल थाना प्रभारी तमनार संदेही के गांव पहुंचकर बालिका को दस्तयाब कर अपचारी बालक को अभिरक्षा में लिया गया।

पीड़ित बालिका महिला विवेचक सउनि सरस्वती महापात्रे को दिये अपने कथन में बताई कि उसके गांव के समीप दूसरे गांव का एक लड़का गांव मजदूरी काम करने आता था जो शादी करूंगा कहकर बहला फुसला कर दिनांक 01.05.2022 को पैदल उसके गांव के पीछे जंगल में ले गया, जहां मना करने के बावजूद शारीरिक संबंध बनाया। डर के कारण दोनों गांव के जंगल में ही नाला के पास 04 दिनों तक छिपे हुये थे। भूख से परेशान होकर दिनांक 05.05.2022 को अपचारी बालक पीडिता को लेकर गांव पहुंचा। सूचना पर पुलिस गांव पहुंचकर बालिका एवं अपचारी बालक को अभिरक्षा में लिया गया। विधि के साथ संघर्षरत अपचारी बालक को शादी का प्रलोभन देकर बालिका का लैंगिक शोषण के मामलें में धारा 366(क), 376 भा.द.वि एवं 04 पोक्सो एक्ट में किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ भेजा गया, वहीं बालिका को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया है।

रेल्वे में पोटर का कार्य कर रही महिला ने पड़ोसन को रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर ठग ली 4 लाख रूपये, गिरफ्तार

- कोतवाली थाने में पीड़ित महिला ने दर्ज करायी धोखाधड़ी की रिपोर्ट

रायगढ़। दिनांक 07.05.2022 को थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में रेल्वे कालोनी में रहने वाली मंजु मानिकपुरी उसके पडोस में रहने वाली ममता यादव पर रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रूपये की ठगी की शिकायत की, थाना प्रभारी मनीष नागर द्वारा पीड़ित महिला की पूरी बातें सुनकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उसके आवेदन पर धोखाधड़ी का अपराध कायम के निर्देश दिये और महिला स्टाफ को लेकर आरोपिया की गिरफ्तारी के लिये रवाना होकर आरोपिया को हिरासत में लेकर थाना लाये जिसे धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

रिपोर्टकर्ता मंजु मानिकपुरी पति उमेशदास मानिकपुरी उम्र 40 साल निवासी रेल्वे कलोनी बताई कि इसके पति रेल्वे में गैंगमेन की नौकरी करते है, वर्ष 2020 में उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण ड्यूटी नहीं जा पा रहे थे उनके स्थान पर नौकरी के लिये पड़ोसी ममता यादव पति निरंजन जो कि रेल्वे में ही पोर्टर की नौकरी करती है, से चर्चा की तो बोली कि पैसा खर्च करोगी तो तुम्हारे पति का नौकरी तुम्हें दिला सकती हूं। तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चक्रधरनगर शाखा रायगढ़ से 06 लाख रूपये लोन ली जिसमें ममता यादव गारंटर बनी। लोन के रुपये में से 04 लाख रूपये नगदी निकाल कर ममता यादव को घर में परिचित लोगों के समक्ष दी। पति का ईलाज रेल्वे हास्पिटल में हुआ जो ठीक होकर काम पर जा रहे हैं तब ममता यादव से अपने रकम वापस मांगी तो वो बहाना बनाते हुए अधिकारियों को पैसा दे दी हूं। अब मैं नहीं जानती तुम्हारे पैसों के बारे में कहकर रूपये देने से साफ मना कर दी। महिला के लिखित शिकायत पर धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपिया ममता यादव पति निरंजन यादव उम्र 38 साल निवासी रेल्वे कालोनी क्वाटर नं0 34/3 थाना कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया। आरोपिया बताई कि वह रायगढ़ में पोटर है पति भी रेल्वे में है, उसने पडोसन मंजु मानिकपुरी से रेल्वे में नौकरी के नाम पर रूपये लेने की बात स्वीकार की है, आरोपिया को धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस की ततकाल कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, आरक्षक विनोद शर्मा की अहम भूमिका रही है।

रनभांठा और त्रिभौना में पुसौर पुलिस ने लगाया जन चौपाल

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी पुसौर उपनिरीक्षक गिरधारी साव द्वारा प्रतिदिन थानाक्षेत्र के गांवों में पुलिस जन चौपाल लगाया जा रहा है। कल दिनांक 06.05.2022 को उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा ग्राम त्रिभौना में तथा आज दिनांक 07.05.2022 को ग्राम रनभांठा में जन चौपाल लगाया गया। ग्राम रनभांठा में यज्ञ कार्यक्रम के लिए आयी महिलाओं एवं बालिकाओं को थाना प्रभारी पुसौर द्वारा महिला एवं साइबर संबंधी अपराधों की जानकारी दिया गया। थाना प्रभारी बताये कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, यौन अपराध, दुर्व्यवहार, बच्चों पर घटित अपराधों में सख्त कानून बनाये गये है तथा पीड़ितों को विधिक सहायता के साथ मुआवजा मिलने का भी प्रावधान है। थाना प्रभारी द्वारा उपस्थित महिलाओं को महिला और बच्चियों के साथ घटित अपराधों को दबाये नहीं बल्कि उनकी रिपोर्ट कर आरोपित को सजा दिलाने कहा गया। थाना प्रभारी द्वारा महिलाओं के लिये उपयोगी मोबाइल ऐप अभिव्यक्ति की जानकारी दिया गया तथा महिला आरक्षक सविता यादव द्वारा जागरूकता पर्चे बांटा गया। थाना प्रभारी गिरधारी साव द्वारा साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए बताये कि आज कल साइबर ठग अलग-अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। रिवार्ड, कैशबैक जैसे लालच देकर फोन कॉल, एसएमएस, ईमेल जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है ऐसे कॉल आये तो सावधानी बरतें। अगर आप बैंक या किसी कंपनी में कोई शिकायत किये हैं और उसके बाद आपको पास कोई फोन आता है जिसमें आपसे कोई खाते या कार्ड से जुड़ी डिटेल मांगी जाती है तो कभी न दें। थाना प्रभारी द्वारा लोगों को यातायात नियमों का पालन करने तथा पुलिस सहायता के लिये डॉयल 112 पर कॉल करने बताया गया। थाना प्रभारी के साथ थाना पुसौर का आरक्षक टीकाराम बरेठ एवं महिला आरक्षक सविता यादव दोनों जन चौपाल में उपस्थित थी।

लैलूंगा के ग्राम कमरगा व भुईयांपानी में लगा पुलिस जन चौपाल, ग्रामवासियों को की गई अपराधों से जागरूक

रायगढ़। थाना लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कमरगा में आज दिनांक 05/05/2022 के शाम पुलिस जन चौपाल एवं जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। भीषण गर्मी व दिन के समय अधिकतर गांववाले ने जंगल तेंदूपत्ता तोड़जाने को देखते हुए शाम के समय चौपाल का आयोजन किया गया था जिसमें ग्राम कमरगा एवं भुईयांपानी के रहवासियों के साथ एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी लैलूंगा प्रवीण कुमार मिंज, उप निरीक्षक बलदेव साय पैकरा तथा थाना लैलूंगा के स्टाफ मौजूद थे। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधिनों से ग्राम कमरगा की सरपंच कुसुम खलखो, भुईयांपानी की सरपंच बालकुंवर भगत व गांव के गणमान्य लोग उपस्थित थे। जागरूकता कार्यक्रम में एसडीओपी धर्मजयगढ़ व थाना प्रभारी द्वारा छत्तीसगढ़ी में लोगों को सम्बोधित कर अपराधों की जानकारी दिए जिससे उन्हें सरलता से समझ आवे। एसडीओपी धर्मजयगढ़ द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को वर्तमान में हो रहे साइबर क्राइम के संबंध में उदाहरण देकर बताएं तथा अनजान व्यक्तियों को अपनी निजी जानकारी, बैंक, एटीएम आदि से संबंधित जानकारी बताने को मना किए। वहीं उन्होंने क्षेत्र में नशे के कारण क्षणिक झगड़ा विवाद में हुए घटनाओं का उदाहरण देकर ग्रामवासियों को नशे से दूर रहना बताएं। एसडीओपी धर्मजयगढ़ द्वारा बताएं कि नशे के कारण किस प्रकार क्षणिक आवेश में व्यक्ति बड़ी घटना कारित कर देता है जिसके बाद उसका परिणाम

उसे जेल के रूप में भुगतना पड़ता है तो दूसरी ओर परिवार में बिखराव हो जाता है। उन्होंने गत दिनों ग्राम लमडांड में हुए घटना की जानकारी के साथ नशे के दुष्प्रभाव को समझाएं व नशे से दूर रहना बताएं। चौपाल में थाना प्रभारी द्वारा भी छत्तीसगढ़ी में ग्रामीणों को महत्वपूर्ण जानकारियां दिया गया वे बताये कि जिले में तथा आसपास के जिलों में बाहर से आकर अपराधिक किस्म के व्यक्ति किस प्रकार लूटपाट, चोरी जैसी वारदात कर फरार हो जाते हैं, उसके उदाहरण पेश कर गांव में बाहर से आने वाले फेरीवाले, सोना-चांदी चमकाने वाले, गैस रिपेयर के बहाने घूमने वालों की जानकारी तत्काल पुलिस को दिए जाने गांववालों को प्रेरित किये। उन्होंने गांव में जुआ, शराब, घटना दुर्घटना की जानकारी सीधे थाना प्रभारी या डायल 112 नंबर पर देना बताया व पुलिस सहायता के लिये भी कॉल करना बताये। कार्यक्रम में महिला, बच्चों से संबंधित जानकारी देकर अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से महिलाएं किस प्रकार शिकायत कर सकती हैं बताया गया। जन शिकायत निवारण शिविर में ग्रामीणों से एसडीओपी दीपक मिश्रा उनकी समस्याएं, शिकायतें पूछा गया जिस पर गांव के कुछ रहवासी गांव से घर दूरी पर होने से बिजली नहीं पहुंच पाने की शिकायत किये जिनसे आवेदन तैयार कराया गया और कहा गया कि आवेदन का बिजली विभाग को प्रेषित कर कार्यवाही कराया जावेगा। वहीं जमीन बंटवारा, सीमांकन आदि के संबंध में शिकायत के भी चौपाल में आवेदन तैयार कर लिया गया जिसे संबंधित विभाग को अग्रेषित कर कार्यवाही करना बताए जावेगा बताया गया। वही झगड़ा मारपीट जैसी पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों का आवेदन तैयार कर एसडीओपी द्वारा थाना प्रभारी लैलूंगा को अग्रेषित कर शीघ्र वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। कार्यक्रम में गांव वालों द्वारा पुलिस के इस पहल की उन्मुक्त कंठ से सराहना किये और आगे भी गांव आने का निमंत्रण दिए जिस पर पुलिस शीघ्र चौपाल का फीडबैक लेने आना बताया गया है।

वही थाना प्रभारी कोतरारोड प्रभात कुमार (आईपीएस) एवं निरीक्षक चमन सिन्हा द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम नवरंगपुर एवं बरपाली में पुलिस जन चौपाल का आयोजन कर लोगों को अपराधों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने के साथ उनकी समस्याएं सुने। मौके पर पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों का निराकरण के लिए कार्यवाही अमल में लाई गई तथा उपस्थित जन सामान्य को आईपीएस प्रभात कुमार द्वारा साइबर क्राइम से संबंधित अपराध एवं बचाव के उपाय बताए। प्रभात कुमार ने लोगों से कहा कि साइबर अपराध को रोकने सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है जागरूक रहें प्रात काल पर ध्यान ना दें ऐसे कॉल को ब्लॉक करें तथा किसी भी परिस्थिति में अपनी निजी जानकारी बैंक, एटीएम पिन व बैंक से जुड़े मोबाइल का ओटीपी अनजान व्यक्ति को नाम बतावे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480